

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

अमोल मोहन वर्मा बनाम श्रीचन्द्र वर्मा

मु.नं.- 83/25

किस्म - 4/91

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी
हुए

29-4-26

अभिप्रायको द्वारा न्यायिक कार्य का
रूपगत रखा गया जिससे न्यायिक कार्य गति हो
सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-5-26 को पेशा है

01.05.26

पत्रावली पेशा हुई। पक्षकारान
को वार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष
अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से
तलबी में लीपित है। वादी को वार-2
निर्देशों के अन्तर्गत भी वादी द्वारा प्रतिवादी
सं. 0 2 लगा 13 के तलबाना लगभग पेश
नहीं किन्तु निर्देशों की अवहेलना की
गई। प्रतिवादी सं. 01 को भी लम्बे
समय से अनगण्य डावा ऊप्राए। इससे स्पष्ट
है कि पक्षकारान पत्रावली में कोई भी
कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है इसलिए
पत्रावली पक्षकारान की अदम्य हाजरी व
अदम्य पेशी में स्थगित की जाती है। पत्रावली
केवल शुभार होकर ही रहने के लिए है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)